न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 09/2016/भीलवाड़ा (2016/00081)

श्री जसवंत सिंह राजपूत पुत्र श्री देवी सिंह राणावत निवासी वावलास थाना वागोर जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा
आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/आदेश/2015/32415 दिंनाक 29.02.2016

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

———

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 16-3-2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम डबल बेरल 12 बोर नम्बर 7364 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/29/81 जो लगातार 1981 से नवीनीकरण होता आ रहा था। इस शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से अपीलार्थी के चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाहे बिना विलम्ब से नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण नहीं मानकर आदेश दिनांक 29–2–2016 द्वारा अपीलार्थी के नाम का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 29/81 निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के उक्त आदेश दिनांक 29/02/2016 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह स्पष्ट प्रावधान दिये हुए है कि लाईसेंस को रिवोक/निलंबन/निरस्त करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 16–11–2015 को बुलाया था किन्तु प्रार्थी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका इस कारण बाद में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हुआ परन्तु जानकारी में आया कि अपीलार्थी के प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। आदेश में केवल यह अंकन किया कि विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कारण संतोषजनक नहीं है। उक्त आदेश में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये गये है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में प्रावधान है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलंवित/रिवोक किया जा सकता है जहा जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो उस आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट नहीं चाही गई केवल सरसरी तौर पर अपीलार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी का लाईसेंस 31–12–2005 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी वृद्ध व्यक्ति है जो 2005 से लगातार अस्वस्थ चला आ रहा था। प्रार्थी के बच्चे गांव के बाहर निवास करने के कारण समय पर लाईसेंस को नवीनीकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अपीलार्थी ग्राम बावलास में बने पुराने किले में निवास करता है उक्त किला जंगल में है तथा कृषि भूमि होने व आस–पास जंगली जानवरों की अत्यधिक संख्या होने के कारण डर बना रहता है अपीलार्थी को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु देखभाल करने के लिए अपीलार्थी आता–जाता रहता है इसके कारण हथियार की आवश्कता रहती है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र कमांक प–1 (13) गृह–9/2006 दिनांक 16–12–2006 में शस्त्र एवं अनुज्ञा पत्रों के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के प्रावधान दिये गये है जिसमें

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

नवीनीकरण अभ्यावेदन विलम्ब से भी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए परिशिष्ट–11 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है एवं न ही उसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं है ना ही अपीलार्थी को किसी न्यायालय ने सजा दी है ऐसी स्थिति में हथियार के लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी लाईसेंस नवीनीकरण हेतु विलम्ब शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 29–2–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को नोटिस देने के बावजूद अनुज्ञापत्रधारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी द्वारा लाईसेंस नवीनीकरण हेतु विलम्ब की अवधि बाबत प्रस्तुत कारण असंतोषप्रद होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के नाम 12 बोर डबल बेरल गन नम्बर 7364 का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/29/81 को विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के कारण निरस्त कर दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलार्थी ने लगभग 9 वर्ष के विलम्ब से नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। नवीनीकरण आवेदन पत्र में भी तिथि अंकित नहीं है। अपीलार्थी ने अपील मीमों के पैरा 5 में जो कारण दिये है उनसे स्पष्ट है कि प्रार्थी वृद्ध तथा अस्वस्थ होने से याददाश्त भी कमजोर है जिससे उसके द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक सुनवाई का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 9–6–2015 को नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अपीलार्थी के पुत्र की तरफ से दिनांक 17–9–2015 को प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी के चचेरे भाई द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 3–8–2015 यद्यपि रिकार्ड पर उपलब्ध है किन्तु इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तदुपरान्त अपीलार्थी को सुनवाई

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

हेतु 2–11–2015 का नोटिस जारी किया गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा इसका कोई जवाब रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में जबकि आवेदक स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि वह अस्वस्थ होने से नवीनीकरण नहीं करा सका, याददाश्त भी कमजोर है अतएवं ऐसे असक्षम व्यक्ति के पास हथियार रहना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये गये है किन्तु अपीलार्थी सुनवाई हेतु वह स्वयं कभी व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब का कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण भी अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है तथा जो कारण दर्शाये है उनके आधार पर नवीनीकरण किया जाना किसी भी स्थिति में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–2–2016 समुचित, विवेकपूर्ण एवं स्पीकिंग आदेश होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2015/22415 दिनांक 29–02–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner